रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122023-250760
CG-DL-E-19122023-250760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 717]	नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 19, 2023/अग्रहायण 28, 1945
No. 717]	NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 19, 2023/AGRAHAYANA 28, 1945

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 901(अ).—केंद्रीय सरकार, राज्यक्षेत्रीय सागरखंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे के अनुदान को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ -** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

   (क) "अधिनियम" से राज्यक्षेत्रीय सागरखंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) अभिप्रेत है;

   (ख) "करार" से केंद्रीय सरकार और पट्टेदार के बीच सम्पन्न करार;

   (ग) "केंद्रीय सरकार" से **भारत सरकार का नवीन और नवीकरणीय** ऊर्जा मंत्रालय अभिप्रेत है जो इन नियमों को प्रशासित करता है;

   (घ) "कार्य समापन" से पवन टर्बाइन, मशीनरी और प्रयुक्त केबलों को कार्यसमापन करना तथा आधारभूत संरचना को नष्ट और ध्वस्त करना और मलबे को हटाना तथा लागू कानून/अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार समुद्र तल को उसके मूल विन्यास में वापस लाना अभिप्रेत है;

(ङ) "अभिहित अभिकरण" से परियोजना संबंधी बोली लगाने या उसकी निगरानी के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित अभिकरण अभिप्रेत है;

(च) "अभिहित पट्टा क्षेत्र" से पट्टा क्षेत्र का वह अभिहित भाग अभिप्रेत है जहां अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना और अपतटीय पारेषण परियोजना से संबंधित कार्यकलापों को पूरा करने के लिए एक अधिसूचित अवधि हेतु प्रवेश प्रतिबंध लगाया जा सकता है;

(छ) "भूभौतिकीय सर्वेक्षण" से स्थानिक अध्ययन और विभिन्न क्षेत्रों के समुद्र तल की स्थिति को परिभाषित करने वाले भूवैज्ञानिक मानचित्र और भूवैज्ञानिक खंड तैयार करने के लिए जल स्तंभ, समुद्र तल और अधोभूमि की भौतिक जांच करना अभिप्रेत है ताकि विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु ऐसी अपतटीय पवन टर्बाइनों के लिए आधारभूत संरचनाओं को तैयार करने में सहायता की जा सके;

(ज) "भूतकनीकी सर्वेक्षण" से मृदा और अधोभूमि की स्थिति से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी और अन्य डाटा प्राप्त करने के लिए बोर-होल की ड्रिलिंग करना अभिप्रेत है जिसमें अपतटीय पवन परियोजनाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से इसकी भार वहन क्षमता का आँकलन सम्मिलित हो;

(झ) "पट्टा" से पट्टा रकम के संदाय के एवज में केंद्रीय सरकार द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए पट्टेदार को अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर समुद्र तल पर अधिकार प्रदान करने संबंधी करार अभिप्रेत है;

(ञ) "पट्टेदार" से वह व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जिसे पट्टा प्रदान किया गया है;

(ट) "पट्टा जारीकर्ता प्राधिकरण" से अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना और अपतटीय पवन पारेषण परियोजना हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ठ) "राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान" नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है;

(ड) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना" से प्राकृतिक समुद्री पर्यावरण में विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु स्थिर आधार या अस्थिर आधार युक्त विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के भीतर सहायक विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पूर्ण प्रणाली अभिप्रेत है, जिसमें पवन टर्बाइन, अपतटीय पूलिंग सब-स्टेशन, इंट्रा एरे केबल और इंटर एरे सहित अपतटीय केबलों की श्रृंखला तथाअपतटीय प्लेटफार्मों पर उपयोग किए जाने वाले अन्य नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त विद्युत उत्पादन प्रणालियाँ सम्मिलित हों;

(ढ) "अपतटीय पवन पारेषण परियोजना" से अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के प्रयोजन के लिए ऑफशोर पूलिंग पॉइंट से ऑनशोर पूलिंग पॉइंट तक ट्रांसमिशन पावर निकासी प्रणाली अभिप्रेत है;

(ण) "पवन टर्बाइन" से पवन संचालित विद्युत जेनरेटर अभिप्रेत है जो पवन की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. पट्टे के अधीन अपतटीय पवन ऊर्जा की स्थापना, कमीशर्निंग - कोई भी व्यक्ति या इकाई, इन नियमों के अधीन दिए गए पट्टे के सिवाय, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं या अपतटीय पारेषण परियोजनाओं को स्थापित नहीं करेगी।

4. विनियामक तंत्र. – केंद्रीय सरकार पवन ऊर्जा से संबंधित मामलों के लिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की सेवाओं का उपयोग करेगी, जो एक स्वायत्त निकाय है।

5. पट्टा प्रदान करना. - (1) केंद्रीय सरकार अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना और अपतटीय पवन पारेषण परियोजना के लिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर स्थित अपतटीय क्षेत्र को पट्टे पर दे सकती है;

(i) पट्टे के लिए अपतटीय क्षेत्र केंद्रीय सरकार द्वारा चिह्नित किया जाएगा जो पवन संसाधन मूल्यांकन और तत्पश्चात समुद्री स्थानिक योजनापर आधारित होगा।

(ii) पट्टेदार की चयन प्रक्रिया राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति द्वारा शासित होगी;

(iii) पट्टा प्रदान करने से पूर्व रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से अनापत्ति प्राप्त की जाएगी;

(2) पट्टा प्रदान किए जाने; और भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पवन ऊर्जा क्षमता की स्थापना हेतु पट्टेदार केंद्रीय सरकार के साथ एक करार करेगा।

(3) प्रत्येक पट्टे में इन नियमों के अधीन ऐसे निबंधन, अनुबंध और शर्तें तथा अतिरिक्त निबंधन, अनुबंध और शर्तें अंतर्विष्ट होंगी जो केंद्रीय सरकार और पट्टेदार के बीच संपन्न करार में नियत की जा सकती हैं और इस पट्टे के ब्यौरे राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

6. पट्टेदार के अधिकार – (1) राज्य सरकार और अन्य पणधारियों के साथ परामर्श के पश्चात केंद्रीय सरकार और पट्टेदार के बीच किए जाने वाले करार के निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन, पट्टा क्षेत्र के भीतर पट्टेदार के अधिकार इस प्रकार होंगे;

i. प्रत्येक पट्टेदार को पट्टे के अधीन बाध्यताओं को पूरा करने के लिए, अध्ययन और सर्वेक्षण सहित अपतटीय पवन ऊर्जा और अपतटीय पवन पारेषण से संबंधित कार्यकलापों को पूरा करने का अनन्य अधिकार होगा;

ii. यथास्थिति, अपतटीय पवन या अपतटीय पारेषण या दोनों, से संबंधित अपेक्षित कार्य के लिए जलमार्ग का उपयोग करने का अधिकार;

iii. प्रत्येक पट्टेदार को निम्नलिखित को निर्बंधित करने का अधिकार होगा,-

क. अपतटीय पवन फार्म के निर्माण या संचालन और रखरखाव के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि के लिए अभिहित पट्टा क्षेत्रों में प्रवेश;

ख. परियोजना स्थल के संचालन में बाधा डालने वाली नौकाओं, फेरियों और पोत का नौचालन;

ग. पवन टरबाइन फाउंडेशन से पचास मीटर की दूरी और उप-स्टेशन से पांच सौ मीटर की दूरी के भीतर आवाजाही;

घ. 6 (iii)(क) के अनुसार अभिहित पट्टा क्षेत्रों के भीतर मछली पकड़ने वाला स्थिर लंगर डालना या उसका उपयोग करना;

ङ. 6 (iii)(क) के अनुसार अभिहित पट्टा क्षेत्रों के भीतर स्कूबा डाइविंग, विंडसर्फिंग, पतंगबाजी और इसी तरह के अन्य कार्यकलाप:

परंतु जीविका के प्रयोजन के लिए मछली पकड़ने जैसे कार्यकलाप और आम जनता के हित में अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म के साथ सह-अस्तित्व वाले अन्य कार्यकलाप अनुज्ञेय होंगे, यदि वे अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म के सामान्य कामकाज को प्रभावित नहीं करती हैं।

टिप्पण: निर्माण अवधि के दौरान और संचालन तथा रखरखाव अवधि के दौरान मापन और खोज कार्यकलापों के लिए अभिहित पट्टा क्षेत्र अलग-अलग होंगे। अभिहित पट्टा क्षेत्रों को केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और पट्टेदार को तीन स्थानीय समाचार पत्रों और तीन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में अधिसूचना का व्यापक प्रसार करना होगा।

(2) पट्टेदार को समुद्र तल, उपमृदा, निकटवर्ती जलीय क्षेत्रों से किसी भी प्रकार के खनिजों, सामग्रियों और अन्य संसाधनों की खोज तथा निष्कर्षण और अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित कार्यों के सिवाय अन्य कोई कार्यकलाप करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(3) पट्टेदार केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना पट्टे के किसी भी भाग को उप-पट्टे पर नहीं देगा।

7. पट्टे के प्रभावी होने की तारीख - प्रत्येक पट्टा, पट्टा करार में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगा।

8. पट्टे का क्षेत्रफल और अवधि - (1) पट्टे में सम्मिलित क्षेत्र को विनिर्दिष्ट किया जाएगा और संसाधन मापन और संबंधित अध्ययन/सर्वेक्षण कार्यकलापों के लिए पट्टा तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जिसे पर्याप्त कारणों से अतिरिक्त दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, पट्टा समाप्त हो जाएगा; और पट्टेदार को दी गई सभी अनापत्ति वापस ले ली जाएंगी और पट्टेदार को अध्ययन या सर्वेक्षण आंकड़े राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान को प्रस्तुत करने होंगे; जब तक कि पट्टेदार ने पट्टे के निबंधनों के अनुसार पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए कार्य शुरू नहीं किया हो।

(2) अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के निर्माण और संचालन के लिए, पट्टे को पैंतीस वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा जिसे परियोजना की कार्यात्मक व्यवहार्यता और सुरक्षा के अध्यधीन मामला-दर-मामला आधार पर और बढ़ाया जा सकता है।

(3) पट्टे के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र सामान्यतः पच्चीस वर्ग किलोमीटर से पांच सौ वर्ग किलोमीटर तक होगा और यह परियोजना के आकार के आधार पर भिन्न हो सकता है।

9. सुरक्षा जमा, वार्षिक पट्टा फीस और क्षेत्रों की शेडिंग आदि - (1) मांग पत्र से तीन मास के भीतर पट्टा जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा पट्टा प्रदान करने से पहले पट्टेदार को अभिहित अभिकरण को प्रतिदेय सुरक्षा जमा राशि प्रस्तुत करनी होगी;

i. एक अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना की संस्थापना और शुरुआत के लिए प्रति मेगावाट एक लाख रुपये की राशि;

ii. एक पृथक अपतटीय पवन पारेषण परियोजना के लिए पचास हजार रुपये प्रति मेगावाट की राशि;

iii. अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के सफल संचालन और करार के अंत में समापन के पश्चात सुरक्षा जमा, पट्टेदार को वापस कर दी जाएगी:

परंतु यह सुरक्षा राशि, अभिहित अभिकरण से उपयुक्त कार्यसमापन और पट्टे के निबंधनों और शर्तों के पालन संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् वापस कर दी जाएगी।

(2) आवेदक को पट्टे में सम्मिलित प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके भाग के लिए गणना किए गए प्रति वर्ष एक लाख रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से वार्षिक पट्टा फीस का अग्रिम संदाय करना होगा। पट्टा जारी करने वाले प्राधिकारी से मांग पत्र प्राप्त होने के एक मास के भीतर फीस जमा करना अपेक्षित है।

(3) पट्टेदार को केंद्रीय सरकार तीस दिन की पूर्व सूचना देते हुए और अगले पांच वर्षों के लिए या पट्टा अवधि तक, जो भी पहले हो, वार्षिक पट्टा फीस का संदाय करने पर संपूर्ण या आंशिक पट्टा क्षेत्र छोड़ने की अनुज्ञा दी जाएगी:

परंतु यदि संपूर्ण प्रस्तावित परियोजना क्षमता आंशिक पट्टा क्षेत्र में चालू की जाती है, तो शेष आंशिक पट्टा क्षेत्र को तीस दिन की पूर्व सूचना देते हुए और अगले तीस दिनों के लिए या पट्टा अवधि तक, जो भी पहले हो, पट्टा फीस का संदाय करने पर छोड़ दिया जाएगा।

परंतु यह और कि यदि अपरिहार्य घटना के कारण या तकनीकी व्यवहार्यता के कारण या केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत विनियामक अनापत्ति के कारण परियोजना को पूर्ण या आंशिक क्षमता के साथ संस्थापित नहीं किया जा सकता है, तो सुसंगत पट्टा क्षेत्र को तीस दिन की पूर्व सूचना देते हुए और अगले तीस दिनों के लिए या पट्टा अवधि तक, जो भी पहले हो, पट्टा फीस का संदाय करने पर छोड़ दिया जाएगा।

(4) यदि कार्यकलाप संबंधी अध्ययन या सर्वेक्षण या अपतटीय पवन परियोजना को पट्टा प्रभावी होने की तारीख से छह मास के भीतर शुरू नहीं किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार पट्टा रद्द कर सकती है और सुरक्षा राशि समपहृत कर सकती है।

(5) अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए कोई रॉयल्टी लागू नहीं होगी।

10. क्षेत्रों की पहचान - पट्टे के प्रभावी तारीख से तीन मास के भीतर, पट्टेदार पट्टे में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के संबंध में सभी सहजदृश्य बिंदुओं पर सूचना या फ्लोटर या साइनेज या संकेतक प्रदर्शित करेगा, ताकि इसकी सीमाओं को इंगित किया जा सके और तत्पश्चात ऐसे पट्टे की अवधि के दौरान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें, तटरक्षक और भारतीय नौसेना सहित अन्य पणधारियों के समाधान के लिए ऐसी सूचना या फ्लोटर या साइनेज या संकेतक बनाए रखेगा।

11.अंतरणया समनुदेशन - पट्टेदार केंद्रीय सरकार की लिखित सहमति के बिना, पट्टे के बाबत या क्षेत्रीय जल के भीतर क्षेत्र के बाबत या ऐसे पट्टे द्वारा सम्मिलित किए गए भारत के महाद्वीपीय शेल्फ के संबंध में अपना अधिकार, हक और हित समनुदेशित या अंतरित नहीं करेगा।

12. **अग्रक्रयाधिकार करने का अधिकार -** केंद्रीय सरकार कोप्राकृतिक आपदा, नागरिक अशांति या बाह्य अभ्याक्रमण के कारण आपातकाल के मामले में आपात स्थिति के दौरान ऐसी परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन के लिए पट्टे केअग्रक्रयाधिकारका अधिकार होगा:

परंतु जहां परियोजना चालू हो गई है और विद्युत उत्पन्न हो रही है, पट्टेदार को विद्युत की लागत का संदाय किया जाएगा जिसे अग्रक्रयाधिकारकी अवधि के दौरान नहीं भेजा जा सकता था।

13. साधारण उपबंध - पट्टेदार;

(i) पट्टे में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के लिए बेहतर मरम्मत और शर्तों पर विद्युत उत्पादन करने में सक्षम सभी उपस्कर, अवसंरचना और पवन टरबाइन बनाए रखेगा;

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों, निदेशों और आदेशों के अनुसार उचित कौशल सहित पवन ऊर्जा परियोजना की सभी पूर्वेक्षण, संस्थापना करेगा, चालू करेगा और संचालन करेगा;

(iii) पट्टेदार के पास भारत में एक स्थानीय कार्यालय होगा जो सभी कार्यों का संचालन करेगा और वह एक नोडल अधिकारी अभिहित करेगा जो पट्टे के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) पट्टेदार संचालन के दौरान उपस्करों, पुरुषों और तीसरे पक्ष का बीमा करेगा;

(v) पट्टेदार केंद्रीय सरकार या इसके समनुदेशिती की किन्ही दायित्वों से क्षतिपूर्ति करेगा;

(vi) पट्टेदार,पट्टे की समाप्ति पर या इसके द्वारा सम्मिलित किसी भी क्षेत्र को छोडने पर, सभी सर्वेक्षण या अन्वेषण डाटा जैसे मौसम विज्ञानी, बाथीमेट्रिक, समुद्री धारा, सोनार डाटा, भौतिक समुद्र विज्ञान डाटा, सतह भूवैज्ञानिक मानचित्र और अनुभाग, चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण माप और विसंगति मानचित्र, भूकंपीय प्रोफाइल, खंड और संरचना समोच्च मानचित्र, विद्युत और टेलुरिक वर्तमान सर्वेक्षण डेटा और ऐसी अन्य जानकारी जो पट्टेदार द्वारा गोपनीय रूप सेएकत्रित की गई है, जिससे अपतटीय पवन ऊर्जा संभावनाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ताहै, का रिकॉर्ड केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के अधीन आने वाली जानकारी सम्मिलित नहीं है। इस डाटा को रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) के साथ साझा किया जाएगा;

(vii) पट्टेदार को अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के निष्पादन संबंधी जानकारी को छोड़कर किसी तीसरे पक्ष के साथ डाटा साझा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। किसी भी डाटा को साझा करने से पहले एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) से पूर्व अनुमति ली जाएगी;

(viii) पट्टेदार को पट्टे के क्षेत्र को छोड़ने के पश्चात किसी अन्य प्रयोजन के लिए समुद्र विज्ञान, करंट, बाथीमेट्रिक और भूविज्ञान या पवन प्रोफाइल जैसी अपतटीय पवन परियोजनाओं से संबंधित डाटा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ix) पट्टेदार दोनों अपतटीय पवन फार्म के भीतर और इसके आसपास के क्षेत्रों में और ऐसे अभिहित या सीमांकित अपतटीय पवन फार्म के आसपास के जल में किसी भी अवांछित या अनधिकृत गतिविधि में सम्मिलित नहीं होगा, जिसे अवैध या राष्ट्रीय हित के विरुद्ध माना गया हो;

(x) किसी भी सामग्री को संस्थापन के समय, प्रचालन के दौरान और पट्टे की समाप्ति पर समुद्री क्षेत्रों, महाद्वीपीय शेल्फ, क्षेत्रीय जल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में डंप करने की अनुमति नहीं होगी;

(xi) पट्टेदार द्वारा भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से पवन फार्म की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी है और स्थापित सुरक्षा उपायों को एकीकृत मुख्यालय (नौसेना) के माध्यम से भारतीय नौसेना को सूचित किया जाएगा;

(xii) अपेक्षित वास्तविक समय निगरानी जानकारी को केंद्रीय सरकार द्वारा चिह्नित तटरक्षक, नौसेना और अन्य अभिकरणों के साथ साझा किया जाएगा;

(xiii) केंद्रीय सरकार अपेक्षित समझी जाने वाली अतिरिक्त सुरक्षा निगरानी प्रणाली नियत करने के लिए तटरक्षक, नौसेना और अन्य चिह्नितअभिकरणों को प्राधिकृत कर सकती है;

(xiv) कार्मिक या साजो सामान की सभी आवाजाही अभिहित पत्तन से होगी और इसके लिए पत्तन सुरक्षा, पुलिस और सीमा शुल्क द्वारा स्वीकृति दी जाएगी;

(xv) सुसंगत दस्तावेजों को क्षेत्र में गश्त के दौरान भारतीय तट रक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा;

(xvi) नियुक्त किए गए सभी विदेशी नागरिकों के पूर्ववृत्त को केंद्रीय सरकार के संबंधित सुरक्षा अभिकरणों द्वारा सत्यापित किया जाएगा;

(xvii) सर्वेक्षण उन क्षेत्रों तक ही सीमित होना चाहिए जिनके लिए अनुमति या पट्टा दिया गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी नागरिक महत्वपूर्ण क्षेत्र या महत्वपूर्ण स्थल, जो पट्टेदार के लिएपरिलक्षित या सूचित किए गए हैं, सर्वेक्षण के दौरान और परियोजना की स्थापना या संचालन के समय प्रभावित नहीं हों;

(xviii) पट्टेदार को विद्यमान नियमों के अनुसार चार्ट, बाधा सूचक प्रकाश में संशोधन जारी करने के लिए डाटा प्रदान करने सहित नौचालन सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी और उपाय सुनिश्चित करना होगा।

14. **पट्टे को रद्द करना** - (1) किसी भी समय पट्टेदार के पट्टे को रद्द कर दिया जाएगा यदि: -

(i) पट्टे के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित किसी भी निबंधन या अनुबंध या शर्तों को पूरा करने में असफल है या उल्लंघन करता है; या

(ii) पट्टे के अधीन सम्मिलित किए गए क्षेत्र का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए करने में असफल रहता है जिनके लिए पट्टा निर्धारित अवधि के लिए प्रदान किया गया था; या

(iii) ऐसे क्षेत्रों का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न के लिए करता है जिसके लिए इसे प्रदान किया गया था; या

(iv) वनस्पतियों और जीवों को अपूरणीय पर्यावरणीय क्षति पहुंचाता है; या

(v) परियोजना से संबंधित अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

(2) यदि असफलता/उल्लंघन को सुधारात्मक प्रकृति का माना जाता है, तो केंद्रीय सरकार, ऐसे पट्टेदार को नोटिस दे सकती है, जिससे उसे नोटिस प्राप्त होने की तारीख से ऐसे प्रयोजन के लिए दी गई विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है और सूचित करना है और यदि ऐसी अवधि के भीतर ऐसा उपचारात्मक कार्य नहीं किया जाता है, तो पूरा प्रतिभूतिनिक्षेप या आंशिक समपहरण की शास्ति अधिरोपित की जा सकती है;

(i) यदि अधिरोपित शास्ति प्रतिभूति निक्षेप से अधिक है, तो पट्टेदार इस अंतर का संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ii) यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऊपर उल्लिखित आधारों पर उपयोग में असफलता, उल्लंघन जिसका समाधान नहीं किया जा सकता है,तो ऐसे पट्टेदार को साठ दिन का नोटिस देने पर और उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात इन नियमों के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन किए गए प्रतिभूति निक्षेप के पूरे या किसी भी भाग को समपहरण करने के लिए और पट्टे को रद्द करने के लिए आदेश दे सकती है;

(iii) ऐसा रद्दकरण राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा:

परंतु यदि यह स्थापित होता है कि ऐसे पट्टेदार की ओर से अप्रत्याशित घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण पट्टे के किसी भी निबंधन, अनुबंध और शर्तों को पूरा करने में देरी या असफलता हुई है, ऐसी देरी की अवधि को, ऐसे प्रयोजन के लिए दी गई विनिर्दिष्ट अवधि से बाहर रखा जाएगा।

15. पवन ऊर्जा टरबाइनों और अपतटीय उप-केंद्रों की दूरी - केंद्रीय सरकार अपेक्षाओं के आधार पर या प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार अनुदेश जारी कर सकती है:

i. पवन टरबाइनों की दूरी;

ii. अपतटीय उप-स्टेशनों की दूरी; और

iii. पट्टा क्षेत्र के सीमा निर्देशांक से पवन टरबाइनों की न्यूनतम दूरी।

16. कार्य समापन- (1) पट्टेदार को सभी प्रतिष्ठानों को बंद करना होगा और परियोजना द्वारा उत्पन्न सभी अवरोधों को समुद्र तल को साफ करना होगा।

(2) पट्टेदार को पट्टे की समाप्ति के दो वर्ष के भीतर हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और हटाई गई सभी सामग्रियों का या तो पुन: उपयोग, पुनर्प्रयोग या जिम्मेदारी से निपटान करना होगा और केंद्रीय सरकार अपतटीय पवन परियोजना को हटाने के लिए एक अलग मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगी।

17.पट्टे की समाप्ति पर परिसर की सुपुर्दगी.- इन नियमों के अधीन पट्टे की समाप्ति के पश्चात्, पट्टेदार पट्टा क्षेत्र को केंद्रीय सरकार को सौंप देगा;

(i) पट्टेदार इन नियमों के अधीन पट्टे की समाप्ति के पश्चात दो वर्ष के भीतर या केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए अतिरिक्त समय के भीतर; पट्टा अवधि के दौरान यथास्थिति अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना या अपतटीय पारेषण परियोजना या दोनों के सभी घटकों, जैसे कि पवन टरबाइन या उसके भाग, उपस्कर, मशीनरी, केबल, विद्युत अवसंरचनाओं और विद्यमान नागरिक अवसंरचनाओं को हटा दे या उनका निपटान करे :

परंतु जहां पट्टेदार को हटाने की प्रक्रिया के लिए समय विस्तार की आवश्यकता हो, तो पट्टेदार केंद्रीय सरकार को आवेदन कर सकता है और इसे लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के अनुसार, जो वह उचित समझे, स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है।

(ii) यदि ऐसे भंडार, उपस्कर, औजार, मशीनरी और अन्य अवसंरचना को हटाया या निपटान नहीं किया जाता है, तो उन्हें पट्टेदार के जोखिम पर केंद्रीय सरकार के आदेश से नीलामी द्वारा बेचा जा सकता है और ऐसी विक्रय की आय केंद्रीय सरकार द्वारा रखी जाएगी, जब तक कि पट्टेदार द्वारा आवेदन न किया जाए और प्राप्त न की जाए;

(iii) हटाने और निपटान प्रक्रिया में पूरी लागत पट्टेदार द्वारा वहन की जाएगी।

18.संचालन का विनियमन - पट्टेदार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी तकनीकी मानकों और अनुदेशों के अनुसार अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना का निर्माण, स्थापना, प्रवर्तन तथा संचालन और रखरखाव करेगा।

19. संचालन का निलंबन. - केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई भी पट्टेदार:-

i. पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों से सामान्य विद्युत उत्पादन को निलंबित नहीं करेगा;

ii. तटवर्ती पूलिंग स्टेशन को विद्युत के निर्यात को निलंबित नहीं करेगा;

iii. परियोजनाओं को नहीं छोड़ें;

iv. पांच प्रतिशत की सहनशीलता से परे स्वीकृत परियोजना क्षमता से अधिक अपतटीय पवन क्षेत्र को पुनः बिजली प्रदान नहीं करेगा;

v. पिछले निलंबन के बाद केंद्रीय सरकार को पंद्रह दिन पूर्व नोटिस दिए बिना संचालन पुनः शुरू नहीं करेगा:

परंतु यदि किसी अप्रत्याशित कारण से सामान्य संचालन को निलंबित करना पड़ता है, तो ऐसे निलंबन के चौबीस घंटे के भीतर केंद्र सरकार को इसकी सूचना दी जाएगी।

20.संचालन का नियंत्रण. - यदि पट्टा क्षेत्र का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा या पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार, जैसा उसे प्रतीत हो, पट्टेदार को नोटिस देने के पश्चात-

(i) अपतटीय पवन टरबाइनों के संचालन का नियंत्रण अलग-अलग या समूहों में या किसी विशेष क्षेत्र के भीतर पूरी परियोजना पर नियंत्रण करेगी;

(ii) ऐसा अभिकरण नियुक्त करेगी, जो वह आवश्यक समझे और उन्हें उस परिसर में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत करेगी जहां पवन टरबाइन स्थापित हैं और क्षेत्र को अपने अधिकार में लेगी।

21.पर्यवेक्षण के लिए अभिकरण– (1) केंद्रीय सरकार एक उपयुक्त अभिकरण को नामांकित या गठित कर सकती है जिसमें उतने व्यक्ति सम्मिलित होंगे जितना केंद्रीय सरकार उचित समझे:-

(i) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से कि क्या इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों और उनके तद्धीन जारी किए गए किसी आदेश, अनुदेश और निदेशों का पट्टेदार द्वारा अनुपालन किया गया है या किया जा रहा है तथा क्या पूर्वानुमान या पवन ऊर्जा उत्पादन संचालन इन नियमों के अनुरूप किया जा रहा है;

(ii) कार्य निष्पादन के विषय में वास्तविक आँकड़े प्राप्त करने सहित उत्पादन की निगरानी करना, इष्टतम दक्षता और वितरण सुनिश्चित करना तथा केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(iii) इस नियम के अधीन कार्यों को करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो इसकी ओर से संचालन और कार्यात्मक दक्षता की निगरानी करने के लिए किसी भी स्थान में प्रवेश करके निरीक्षण कर सके।

(2) भारतीय तटरक्षक को विंड फार्म में बोर्ड लगाने, निरीक्षण करने, अनुज्ञप्ति, कर्मियों की फोटो पहचान जैसे दस्तावेजों की जांच करने, आवश्यकतानुसार प्रतियां बनाने और संदेह होने पर यथा लागू विधियों के अनुसार कर्मियों को निरुद्ध करने, आगे की जांच या कार्रवाई के लिए सामान जब्त करने का अधिकार है।

22. संदाय में चूक - (1) इन नियमों के अधीन संदाय, यदि ऐसे संदाय के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदत्त नहीं किया जाता है, तो आनुपातिक आधार पर प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए पांच प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाएगी, जिसके दौरान ऐसी फीस या अन्य संदाय नहीं किया जाता है।

(2) यदि किसी पट्टे के संबंध में कोई पट्टा फीस या अन्य संदाय तीन मास से अधिक समय से लंबित है, तो केंद्रीय सरकार ऐसे पट्टे को रद्द कर सकती है और यह रद्दकरण राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

23.विवाद निपटान तंत्र - (1) यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान के प्रयास किए जाएंगे और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति मध्यस्थता प्रक्रिया में जाने से पहले मामले पर विचार करेगी।

(2) यदि इन नियमों के अनुसार हस्ताक्षरित पट्टा करार के किसी भी उपबंध से संबंधित विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से नहीं निपटाया जाता है, तो इसे मध्यस्थों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) तीन मध्यस्थ होंगे जिसमें से प्रत्येक पक्ष द्वारा एक-एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा और तीसरा मध्यस्थ दोनों नियुक्त मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(4) मध्यस्थता में प्रत्येक पक्ष अपना खर्च स्वयं वहन करेगा और मध्यस्थता अधिकरण के व्यय को विवाद से संबंधित पक्षों द्वारा साझा किया जाएगा जब तक कि अधिकरण द्वारा अन्यथा विनिश्चित न किया जाए।

(5) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंध और तद्धीन बनाए गए नियम, उपनियम (2) के अधीन, इस नियम के अधीन मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

[फा. सं. एल-III/16/2014]

उमा शेखर, अपर सचिव (विधि एवं संधि)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2023

G.S.R. 901(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zones and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules to regulate the grant of lease of offshore areas, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Offshore Wind Energy Lease Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

a) "Act" means the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zones and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976);

b) "Agreement" means an agreement entered between the Central Government and Lessee;

c) "Central Government" means the Ministry of New and Renewable Energy **in the Government of India which administers these rules**;

d) "Decommission" means decommissioning of the wind turbines, machinery and used cables as well as uprooting and demolition of the foundation structures along with removal of the debris and returning the seabed to its original configuration in accordance with applicable law/international practices;

e) "Designated Agency" means the agency designated by the Central Government for bidding or monitoring the project;

f) "Designated Lease Areas" means designated portion of lease area where entry restriction can be applied for a notified period to carry out activities related to offshore wind energy project and offshore transmission project;

g) "Geophysical Survey" means the physical examination of the water column, sea bed and sub-soil, for spatial studies and preparation of geological maps and geological sections defining the seabed condition of different zones to help in designing the foundations structures for such offshore wind turbines for electrical power generations;

h) "Geotechnical survey" means the drilling of bore-holes to source scientific information and other data relating to soil and sub-soil conditions including assessment of its load bearing capacity with an objective to set up the offshore wind projects;

i) "Lease" means an agreement to grant rights over seabed within Exclusive Economic Zone to Lessee by the Central Government for a fixed term against payment of lease amount;

j) "Lessee" means a person or an entity who has been granted a lease;

k) "Lease Issuing Authority" means an authority designated by the Central Government for offshore wind energy project and offshore wind transmission project;

l) "National Institute of Wind Energy" is an autonomous institution under the administrative control of Ministry of New and Renewable Energy;

m) "Offshore Wind Energy Project" means a complete system consisting of wind turbines, offshore pooling sub-station, array of offshore cables including intra array cables and inter array, and power generating systems from other renewable sources utilised on offshore platforms to meet the auxiliary power needs within the Exclusive Economic Zones with fixed foundation or floating foundation to generate electrical power in natural sea environment;

n) "Offshore wind Transmission Project" means transmission power evacuation system from offshore pooling points to onshore pooling points for the purpose of Offshore Wind Energy Project;

o) "Wind turbine" means wind operated electricity generator that converts kinetic energy of wind into electrical energy;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively as assigned to them in the Act.

3. Installation, Commissioning of offshore wind energy under a lease. - No person or entity shall install offshore wind energy projects or offshore transmission projects, except under a Lease granted under these rules.

4. Regulatory Mechanism. – The Central Government may utilise the services of the National Institute of Wind Energy, an autonomous body for matters related to wind energy.

5. Grant of lease.– (1) The Central Government may lease out offshore area within Exclusive Economic Zone for Offshore Wind Energy Project and Offshore Wind Transmission Project;

(i) the offshore area for the Lease shall be identified by the Central Government based on wind resource assessment followed by marine spatial planning.

(ii) the selection process of the Lessee shall be governed by National Offshore Wind Energy Policy;

(iii) clearances from the Ministry of Defence, Ministry of Home Affairs, Ministry of External Affairs, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Department of Space and Ministry of Ports, Shipping and Waterways shall be obtained before granting of the Lease;

(2) The Lessee shall enter into an agreement with Central Government for the grant of lease; and for setting up Wind Energy capacity according to the Guidelines issued by the Govt of India.

(3) Every lease shall contain such of the terms, covenants and conditions under these rules and additional terms, covenants and conditions that may be stipulated in the agreement between the Central Government and the Lessee and the details of lease shall be published in Official Gazette.

6. Right of the lessee. – (1) Subject to the terms and conditions of the agreement that may be arrived between the Central Government and the Lessee, after consultation with the State Government and other stakeholders, the rights of the Lessee within the lease area shall be as follows;

i. every lessee shall have the exclusive right to carry out activities related to offshore wind energy and offshore wind transmission including studies and surveys, for fulfilling obligations under the Lease;

ii. Right to use waterways for required work related to offshore wind or offshore transmission or both, as the case may be;

iii. every lessee shall have the right to restrict,-

   a. the entry into the Designated Lease Areas for such period as notified by the Central Government for the purpose of construction or operation and maintenance of the offshore wind farm;

   b. the navigation of boats, ferries and ships obstructing the operation of the project site;

c. movement within fifty meters distance from the wind turbine foundation and five hundred meters distance from the sub-station;

d. the anchoring or use of fixed fishing gears within the Designated Lease Areas as per 6 (iii)(a);

e. activities such as scuba diving, windsurfing, kiting and the like, within the Designated Lease Areas as per 6 (iii)(a):

Provided that activities such as fishing for the purpose of livelihood and other activities that may co-exist with the offshore wind energy farm in the interest of the common public shall be permissible, if they do not affect the normal working of the offshore wind energy farm.

Note: The Designated Lease Areas would vary for measurement and exploration activities, during the construction period and during the operation and maintenance period. The Designated Lease Areas shall be approved by the Central Government and the Lessee shall have to make wider circulation of the notification in three local newspapers and three national newspapers.

(2) The Lessee shall not have any right for exploration and extraction of minerals, materials and other resources from the sea bed, subsoil, super adjacent waters and any other activities except offshore wind power generation related works.

(3) The Lessee shall not sublease any part of the Lease, without the approval of the Central Government.

7. Date of effect of the lease. - Every Lease shall be effective from the date as specified in the lease agreement.

8. Area and term of the lease. – (1) The area covered by the Lease shall be specified and the Lease shall be valid for a period of three years for resource measurement and related study/survey activities, further extendable for adequate reasons by an additional two years. Post expiry of the five years period, the Lease shall expire; and all clearances to the Lessee shall be withdrawn and the Lessee shall have to deposit the study or survey data to National Institute of Wind Energy; unless the lessee has started work to set up wind energy capacity as per the terms of the Lease.

(2) For construction and operation of offshore wind energy project, the Lease shall be extended for thirty five years which can be extended further on case to case basis subject to functional viability and safety of the project.

(3) The area covered under a Lease, shall ordinarily be twenty-five square kilometres to five hundred square kilometres and the same may vary depending on the size of the project.

9. Security deposit, annual lease fee and shedding of areas etc.- (1) The applicant shall deposit the refundable security deposit to the Designated Agency before the Lease is granted by the Lease Issuing Authority within three months from the letter of demand to the Lessee;

i. for installation and commissioning of an offshore wind energy project , a sum of rupees one lakh per megawatt;

ii. for a separate offshore wind transmission project, a sum of rupees fifty thousand per megawatt;

iii. the security deposit will be returned to the Lessee after successful operation of the offshore wind energy project and decommissioning at the end of the lease agreement for:

Provided that the security deposit shall be returned after production of a certificate of proper decommissioning and adherence to terms and conditions of lease from Designated Agency.

(2) The applicant shall pay a yearly lease fee at a rate of rupees one lakh per square kilometre per year in advance, calculated for each square kilometre or part thereof covered by the lease. The fee is required to be deposited within one month from the letter of demand from the Lease Issuing Authority.

(3) The Lessee shall be allowed to relinquish the entire or partial lease area on giving thirty days prior notice to the Central government and paying the yearly lease fee for the next five years or up to the lease period whichever is earlier:

Provided that in case the entire proposed Project Capacity is commissioned in a partial lease area, the remaining partial lease area shall be relinquished on giving thirty days prior notice and paying the lease fee for the next thirty days or up to the lease period whichever is earlier.

Provided further that in case either full or partial capacity of the project cannot be installed due to *force majeure* or due to technical viability or due to regulatory clearances as accepted by the Central Government, the relevant lease area shall be relinquished on giving thirty days prior notice and paying the lease fee for the next thirty days or up to lease period, whichever is earlier.

(4) In case, the activity - related study or survey or offshore wind project is not commenced within six months from the effective date of Lease, the Central Government may cancel the Lease and forfeit the security deposit.

(5) No royalty shall be applicable for the development of offshore wind energy projects.

10. Identification of areas.- Within three months from the effective date of the lease, the Lessee shall display notices or floaters or signage or indicators at all conspicuous points on the area covered by the lease, so as to indicate its boundaries and shall, thereafter during the term of such lease, maintain such notices or floaters or signage or indicators subject to the satisfaction of the Central Government and other stakeholders including the State Governments, Coast Guard and Indian Navy.

11. Transfer or Assignment. - The Lessee shall not assign or transfer his right, title and interest in respect of the Lease or in respect of the area within the territorial waters or the continental shelf of India covered by such Lease, without the written consent of the Central Government.

12. Right of Pre-emption. - In the case of emergency due to natural disaster, civil unrest or external aggression, the Central Government shall have the right of pre-emption of the lease for power generation from such projects, during an emergency:

Provided that where the project has been commissioned and is generating, the lessee shall be paid the cost of power which could not be dispatched during the period of pre-emption.

13. General Provision. - The Lessee shall;

(i) maintain all equipment, infrastructure and wind turbines capable of producing power in good repair and conditions on the area covered by the lease;

(ii) execute all prospecting, installation, commissioning and operations of wind energy project with proper workmanship in accordance with the instructions, directions and orders that may be issued by the Central Government;

(iii) the Lessee shall have a local office in India to conduct all the operations and designate a nodal officer who shall be responsible for complying with all the terms and conditions of the Lease;

(iv) the Lessee shall insure the equipments, men and third parties during operations;

(v) the Lessee shall indemnify the Central Government or its assignee from any liabilities;

(vi) upon the termination of the lease or upon the relinquishment of any area covered by it, the Lessee shall furnish confidentially complete records of all the survey or investigation data such as meteorological, bathymetric, ocean current, sonar data, physical oceanographic data, surface geological maps and sections, magnetic and gravity measurements and anomaly maps, seismic profiles, sections and structure contour maps, electrical and telluric current survey data, and other information having direct or indirect bearing on the offshore wind energy possibilities in the area collected by the Lessee to the Central Government excluding the information covered under intellectual property rights of the Lessee. This data shall be shared with Integrated Head Quarter (Navy), Ministry of Defence;

(vii) the Lessee shall not be allowed to share data with any third party except in relation to executing the offshore wind energy project. Prior permission shall be taken from the Integrated Head Quarter (Navy) before sharing of any data;

(viii) the Lessee shall not be allowed to use the data related to offshore wind projects such as oceanographic, current, bathymetric and geology or wind profile for any other purpose, whatsoever after relinquishing the lease area;

(ix) the Lessee shall not be involved in any unsolicited or unauthorised activity which may be deemed illegal or against national interest, both within the offshore wind farm and in adjoining areas of land and water around such designated or demarcated offshore wind farms;

(x) no material shall be permitted to be dumped in the Maritime Zones, Continental Shelf, Territorial Water and Exclusive Economic Zone at the time of installation, during operation and on termination of the lease;

(xi) security of the wind farm is to be ensured through physical and electronic means by the Lessee and the security measures instituted shall be intimated to the Indian Navy through the Integrated Head Quarters (Navy);

(xii) requisite real-time surveillance information shall be shared with the Coast Guard, Navy and other agencies identified by the Central Government;

(xiii) the Central Government may authorise the Coast Guard, Navy and other identified agencies for fixing additional security surveillance system as deemed required;

(xiv) all movements of the personnel or material shall take place from the designated port and the same shall be cleared by the Port Security, Police and Customs;

(xv) relevant documents shall be produced for inspection by Indian Coast Guard on patrol in the area;

(xvi) the antecedents of all foreign nationals engaged shall be verified by the concerned security agencies of the Central Government;

(xvii) the survey must be confined to the areas for which permission or lease has been granted. It shall be ensured that no civil vital areas or vital points, identified or communicated to the Lessee, get affected during the course of survey and at the time of installation or operation of the project;

(xviii) the Lessee will have to ensure necessary precautions and measures for navigational safety including providing data for the issue of amendments in charts, obstruction lights, in accordance with extant rules.

14. Cancellation of lease. - (1) The lease shall be cancelled in case the Lessee at any point of time:-

(i) violates the terms and conditions of the lease or fails to fulfill or contravenes any of the terms or covenants or conditions contained therein; or

(ii) fails to use the area covered under lease for the purposes for which the lease was granted within the stipulated lease period ; or

(iii) uses such areas for purpose other than that for which it was granted; or

(iv) causes irreparable environmental damage to flora and fauna; or

(v) fails to produce requisite documents pertaining to the project.

(2) In case the failure/contravention is considered to be of remediable nature, the Central Government, may give notice to such Lessee, requiring him to ensure remedy within a specified period of time granted for the purpose from the date of receipt of the notice and convey that a penalty of forfeiture of whole or part of the security deposit may be imposed, if such remedial work not done within such period;

(i) in case the imposed penalty is higher than security deposit, the Lessee shall be liable to pay the difference;

(ii) the Central Government is satisfied that the failure, contravention in use on grounds mentioned above which cannot be remedied, on giving sixty days' notice to such Lessee and after considering representation, if any, made by him, it may order for forfeiture of the whole or any part of the security deposit made under sub-rule (1) of rule 9 of these rules and cancel the lease;

(iii) such cancellation shall be published in the Official Gazette and shall take effect from the date of such publication:

Provided that if it is established that the delay or the failure on the part of such lessee to fulfil any of the terms, covenants and conditions of the lease due to *force-majeure*, the period of such delay shall be excluded from the specified period of time granted for the purpose.

15. Spacing of Wind Energy Turbines and Off Shore Sub-stations. - The Central Government may issue instructions, depending on the requirements or as per prevailing international norms for:

i. the spacing of wind turbines;

ii. the spacing of offshore sub-stations; and

iii. least distance of wind turbines from boundary coordinates of the lease area.

16. Decommissioning. - (1) Lessee shall be required to decommission all installations and clear the seabed from all obstructions created by the project.

(2) Lessee shall have to complete the decommissioning within two years of termination of the lease and either reuse, recycle or responsibly dispose of all materials removed and the Central Government shall issue a separate guideline for the decommissioning of offshore wind project.

17. Delivery of premises upon termination of lease.- After termination of the lease under these rules, the Lessee shall handover the lease area to the Central Government;

(i) the Lessee within two years after the termination of the lease under these rules or within such further time as the Central Government may grant; remove or dispose off all the components of offshore wind energy project or offshore transmission project or both, as the case may be, such as wind turbines or its parts, equipment, machinery, cables, electrical infrastructures and civil infrastructures existing, during the lease period:

Provided that where the Lessee needs time extension for decommission, the Lessee may apply to the Central Government and the same may be granted or refused, as it may deem fit, for reasons to be recorded in writing.

(ii) if such stores, equipment, tools, machineries and other infrastructures are not so removed or disposed of, they may be sold by auction by order of the Central Government at the risk of the Lessee and the proceeds of such sale shall be held by the Central Government until applied for and obtained by the Lessee;

(iii) the entire cost in removal and disposal process shall be borne by the Lessee.

18. Regulation of operations. – The Lessee shall carry out the construction, installation, commissioning and operation and maintenance of the offshore wind energy project in accordance with the technical standards and instructions issued by the Central Government.

19. Suspension of operations. - No Lessee without prior approval of the Central Government shall:-

i. suspend normal power production from wind energy installations;

ii. suspend the export of power to the onshore pooling station;

iii. abandon the projects;

iv. re-power the offshore wind farm beyond sanctioned Project Capacity beyond a tolerance of five per cent ;

v. resume operation after a previous suspension without giving fifteen days prior notice to the Central Government:

Provided that if normal operations have to be suspended due to any unforeseen reason, notice thereof shall be given to the Central Government within twenty-four hours of such suspension.

20. Control of operations. - In case the lease area is used for activities causing threat to national security or irreparable damage to the environment, the Central Government, as it may appear to it, after giving notice to the Lessee shall,-

(i) assume control of the operation of offshore Wind Turbines in isolation or in groups or complete project within a particular zone;

(ii) appoint a such agency, as may be deemed necessary and authorise them to enter upon the premises, where wind turbines are installed and take over the possession of the zone.

21. Agency for supervision. – (1) The Central Government may nominate or constitute a suitable agency consisting of such number of persons as the Central Government may think fit:-

(i) for the purpose of ascertaining whether the provisions contained in these rules and any orders, instructions and directions issued thereunder have been or are being complied with by the Lessee and whether the prospecting or wind energy production operations are being carried in accordance with these rules;

(ii) to supervise the production including getting real-time data about performance, to ensure the optimal efficiency and delivery and submit report to the Central Government;

(iii) to carry out its functions under this rule, depute any person authorised by it on this behalf to enter into and inspect any place to monitor the operations and functional efficiency.

(2) The Indian Coast Guard is empowered to board, inspect, check documents at wind farm such as license, photo identification of the personnel, make copies as necessary and on suspicion detain personnel, seize material for further investigation or action as per applicable laws.

22. Default in Payment. - (1) Payments under these rules, if not paid within the time specified for such payment, shall be increased by the rate of five per cent, for each month or portion of a month on pro-rata basis during which such fees or other payments are not paid.

(2) If any lease fee or other payment due in respect of a lease is pending for more than three months, the Central Government may cancel such lease and the cancellation shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

23. Dispute Settlement mechanism. - (1) In case any dispute arises, efforts for amicable dispute resolution shall be made by both the parties and a committee chaired by Secretary, Ministry of New and Renewable Energy shall consider the matter before going for arbitration process.

(2) In case a dispute relating to any provision of lease agreement signed as per these rules is not settled amicably, it shall be referred to arbitrators.

(3) There shall be three arbitrators, one to be appointed by each party and the third by the two appointed arbitrators.

(4) Each party shall bears its own expenses at the arbitration and Arbitral Tribunal expenses shall be shared by the parties to the dispute unless otherwise decided by the Tribunal.

(5) The provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996) and the rules made thereunder, shall apply to the arbitration proceedings under this rule, subject to sub-rule (2).

[F. No. L-111/16/2014]

UMA SEKHAR, Addl. Secy. (L&T)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.12.19 22:39:49 +05'30'